म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / जं.सं. / बी–8 / 3 / 2016 / 81 भोपाल दिनांक 19 / 10 / 2016

प्रति,

अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय.............................(समस्त)

विषय:-- प्रदेश के किसानों एवं मंडी कत्यकारियों के हितों / उत्थान हेतु संचालित जन कल्याण योजनाओं का प्रचार–प्रसार के संबंध में।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के कृत्यकारियों के हित में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना, मण्डी प्रांगण में किसानों को पॉच रूपये में भोजन उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना, लागू की गई है, जिनका मंडी प्रांगण में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है, ताकि हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की सुगमतापूर्वक जानकारी उपलब्ध होने के साथ–साथ वह लाभांवित भी हो सके।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 08 प्रारूप अनुमोदित किये गये है, जिनकी प्रतियॉ संलग्न हैं। संलग्न प्रारूप मे से दो योजनाओं के माननीय मुख्यमंत्रीजी के चित्र वाले विज्ञापन और शेष दो योजनाओं के माननीय मंत्रीजी के चित्र वाले विज्ञापन(यह चुनाव मंडी सचिव द्वारा किया जावेगा) 6X10 साईज के फ्लेक्स बनाकर सहज दृष्टिगोचर स्थान पर आपके संभाग की मंडी प्रांगणों कियाशील / उपमंडी प्रांगणों में उक्त योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार, नियमानुसार आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करते हुये सुनिश्चित किया जावे और उक्त कार्यवाही दिनांक 30.10.2016 तक पूर्ण की जाकर संभाग का संकलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को दिनांक 15.11.2016 तक उपलब्ध करायें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / जं.सं. / बी–8 / 3 / 2016 / 83 भोपाल दिनांक 19 / 10 / 2016

प्रतिलिपिः—

1 निज सचिव,माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपालकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..............................(समस्त) की ओर पालनार्थ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मेहनतकशों के हित में सदा तत्पर मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

कृषकों तथा कृषि आधारित रोज़गार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिये एक अभिनव पहल

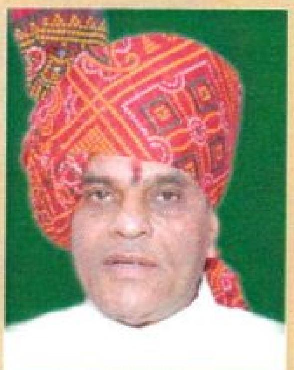

श्री गौरीशंकर बिसेन
मंत्री,
किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

ऐसे किसी कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अंगभंग होने पर -

- कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए।
- कुँआ खोदते या ट्यूबवेल स्थापित करते समय।
- ट्यूबवेल संचालन, कृषि कार्य या खेत की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से बिजली का करंट लगने पर।
- खेतों में रासायनिक दवाईयों आदि के छिडकाव में।
- कृषि मण्डी में उपज की बिक्री, कृषि यंत्र उपयोग या बोरी की ढेरी लगाने में।
- ट्रेक्टर-ट्रॉली या बैलगाड़ी के पलटने पर।
- कृषि उपज विक्रय या घर से खेत आते-जाते समय।
- कुट्टी की मशीन या कृषि संयंत्रों से क्रेश मशीन में आने से।
- कृषि सुरक्षा, पशु चराई, पेड़ों की छटाई या कृषि रखवाली पशु को घास खिलाने, दाना खिलाने, पानी पिलाने, छोड़ने एवं बांधने आदि दैनिक कार्य करते समय।

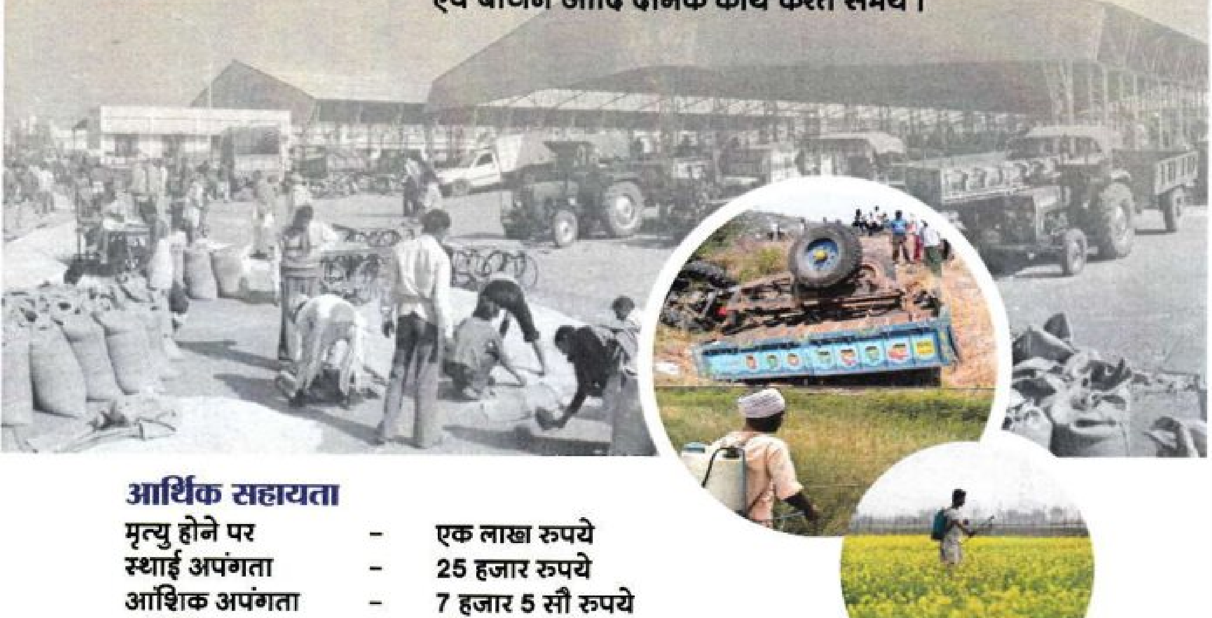

आर्थिक सहायता

मृत्यु होने पर	-	एक लाख रुपये
स्थाई अपंगता	-	25 हजार रुपये
आंशिक अपंगता	-	7 हजार 5 सौ रुपये
अंत्येष्टि अनुदान	-	दो हजार रुपये

- अपना आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में दे सकते हैं।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेहनतकशों के हित में सदा तत्पर
मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना

श्री गौरीशंकर बिसेन
मंत्री,
किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी में कार्यरत् हम्माल और तुलावटी एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य, प्रसूति सहायता, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा की पहल

- महिला को मातृत्व अवकाश के रूप में कलेक्टर दरों से 45 दिन की प्रचलित मजदूरी के बराबर राशि।
- पुरुष को पितृत्व अवकाश के रूप में कलेक्टर दरों पर 15 दिन की प्रचलित मजदूरी के बराबर राशि।
- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति व्यय सहायता।

चिकित्सा सहायता

- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना में वर्ष में अधिकतम 30 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता।
- मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में सहायता।
- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता।

विवाह सहायता

- मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना के अंतर्गत विवाह सहायता।
- अपना आवेदन कृषि उपज मंडी समिति में दे सकते हैं।

प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता

	छात्र	छात्रा
कक्षा 1 से 5	500 रुपये	800 रुपये
कक्षा 6 से 8	1000 रुपये	1200 रुपये
कक्षा 9 से 12	1200 रुपये	1700 रुपये
कक्षा 9 से 12 तक केवल दो बच्चों को प्रति परिवार प्रतिमाह शिक्षावृति	100 रुपये	

बीमा सहायता

सामान्य मृत्यु	- 30 हजार रुपये
दुर्घटना मृत्यु	- 75 हजार रुपये
दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	- 75 हजार रुपये
दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	- 37,500 रुपये
अंत्येष्टि अनुदान	- 2,000 रुपये

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

जिन्होंने बढ़ाया प्रदेश का मान
उन किसानों पर पूरा ध्यान

मंडी प्रांगण में किसानों को 5 रुपये में भोजन

- अपनी कृषि उपज बेचने आये किसानों को मंडी प्रांगण में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था। मीनू के अतिरिक्त मांगने पर निर्धारित मूल्य पर मिलेगा।
- थाली में न्यूनतम 6 पूड़ी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी और दाल। यह सुविधा पर्ची/अनुबंध पत्रक के आधार पर मिलती है।
- भोजन व्यवस्था के सुचारू संचालन, गुणवत्ता के नियमित निर्धारण के लिए कमेटी गठित।

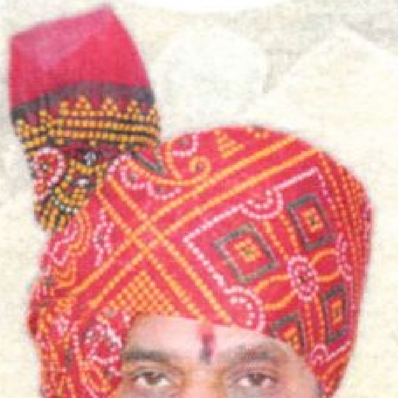

श्री गौरीशंकर बिसेन
मंत्री,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेहनतकशों के बुढ़ापे का सहारा

मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना

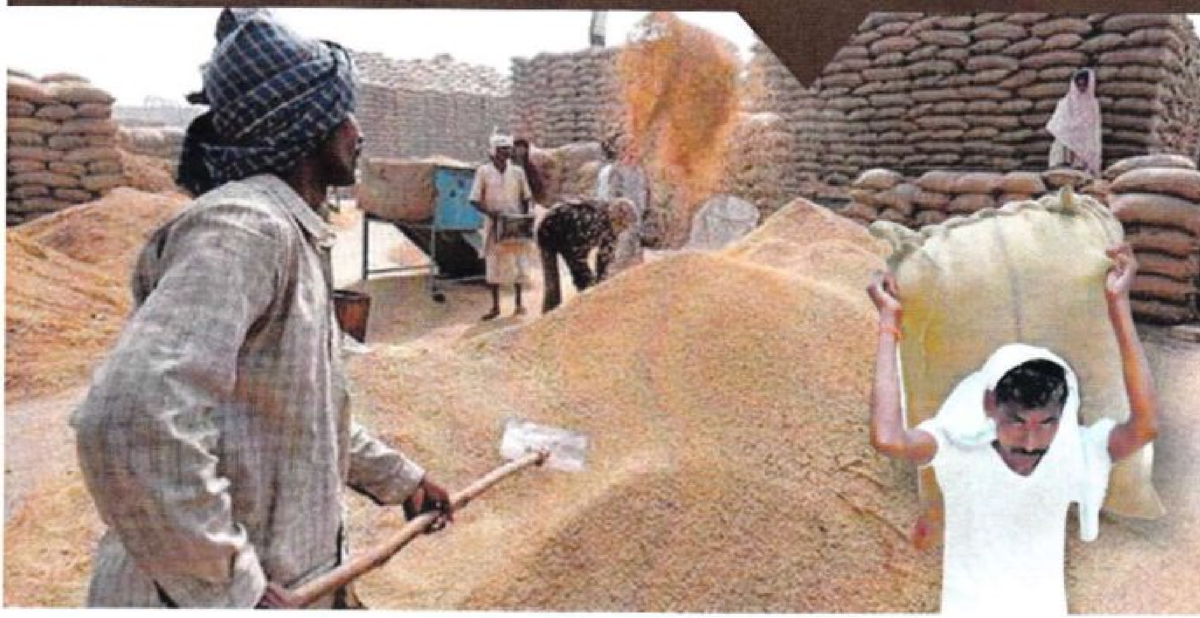

- मंडी समिति में काम करने वाले 18 से 55 आयु वर्ष के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी को पात्रता।
- प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2000 रुपये तक अंशदान राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी। यह राशि 30 अप्रैल से पहले मंडी सचिव तथा हितग्राही के संयुक्त खाते में जमा होगी।
- हितग्राही द्वारा जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि मंडी समिति द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी, जो अधिकतम 1000 रुपये होगी।
- हितग्राही को मंडी बोर्ड की 1000 रुपये प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता योजना में लगातार 20 वर्ष तक हितग्राही अंशदान जमा करने पर ही होगी। परंतु योजना में शामिल होने के 5 वर्ष पश्चात् हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु, स्थायी अपंगता तथा असाध्य बीमारी के कारण योजना से अलग होने पर उसे मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता, जितने वर्ष अंशदान जमा हुआ है, उतनी ही होगी।
- हितग्राही द्वारा 5 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम अवधि में स्वेच्छा से अलग होने पर उसे स्वयं की अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि की पात्रता होगी। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता की पात्रता नहीं होगी।
- संयुक्त बैंक खाते में जमा हितग्राही वार्षिक अंशदान की राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि प्रतिवर्ष अधिकतम ब्याज दर पर सावधिक खाते में जमा की जायेगी, जो योजना समाप्ति के पहले किसी भी स्थिति में निकाली नहीं जायेगी।
- योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद हितग्राही द्वारा जमा की गयी अंशदान राशि, मंडी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा योजना के अंतर्गत मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि एवं अर्जित ब्याज सहित राशि एकमुश्त प्राप्त होगी।

श्री गौरीशंकर बिसेन
मंत्री,
किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेहनतकशों के बुढ़ापे का सहारा

मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना

- मंडी समिति में काम करने वाले 18 से 55 आयु वर्ष के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी को पात्रता।
- प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2000 रुपये तक अंशदान राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी। यह राशि 30 अप्रैल से पहले मंडी सचिव तथा हितग्राही के संयुक्त खाते में जमा होगी।
- हितग्राही द्वारा जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि मंडी समिति द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी, जो अधिकतम 1000 रुपये होगी।
- हितग्राही को मंडी बोर्ड की 1000 रुपये प्रतिवर्ष के मान से एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता योजना में लगातार 20 वर्ष तक हितग्राही अंशदान जमा करने पर ही होगी। परंतु योजना में शामिल होने के 5 वर्ष पश्चात् हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु, स्थायी अपंगता तथा असाध्य बीमारी के कारण योजना से अलग होने पर उसे मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता, जितने वर्ष अंशदान जमा हुआ है, उतनी ही होगी।
- हितग्राही द्वारा 5 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम अवधि में स्वेच्छा से अलग होने पर उसे स्वयं की अंशदान राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि की पात्रता होगी। मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता की पात्रता नहीं होगी।
- संयुक्त बैंक खाते में जमा हितग्राही वार्षिक अंशदान की राशि तथा मंडी समिति की अनुदान राशि प्रतिवर्ष अधिकतम ब्याज दर पर सावधिक खाते में जमा की जायेगी, जो योजना समाप्ति के पहले किसी भी स्थिति में निकाली नहीं जायेगी।
- योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद हितग्राही द्वारा जमा की गयी अंशदान राशि, मंडी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा योजना के अंतर्गत मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि एवं अर्जित ब्याज सहित राशि एकमुश्त प्राप्त होगी।

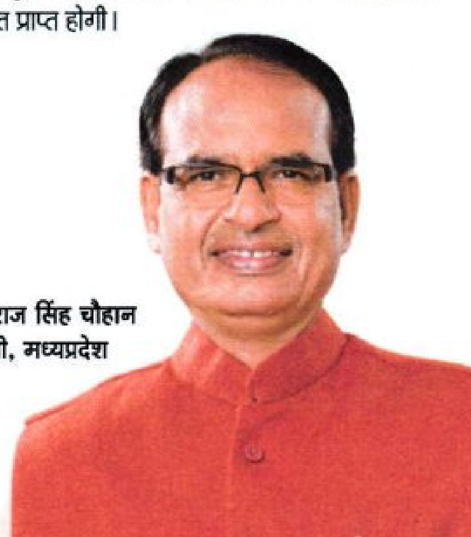

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

जिन्होंने बढ़ाया प्रदेश का मान
उन किसानों पर पूरा ध्यान

मंडी प्रांगण में किसानों को 5 रूपये में भोजन

- अपनी कृषि उपज बेचने आये किसानों को मंडी प्रांगण में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था। मीनू के अतिरिक्त मांगने पर निर्धारित मूल्य पर मिलेगा।
- थाली में न्यूनतम 6 पूड़ी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी और दाल। यह सुविधा पर्ची/अनुबंध पत्रक के आधार पर मिलती है।
- भोजन व्यवस्था के सुचारू संचालन, गुणवत्ता के नियमित निर्धारण के लिए कमेटी गठित।

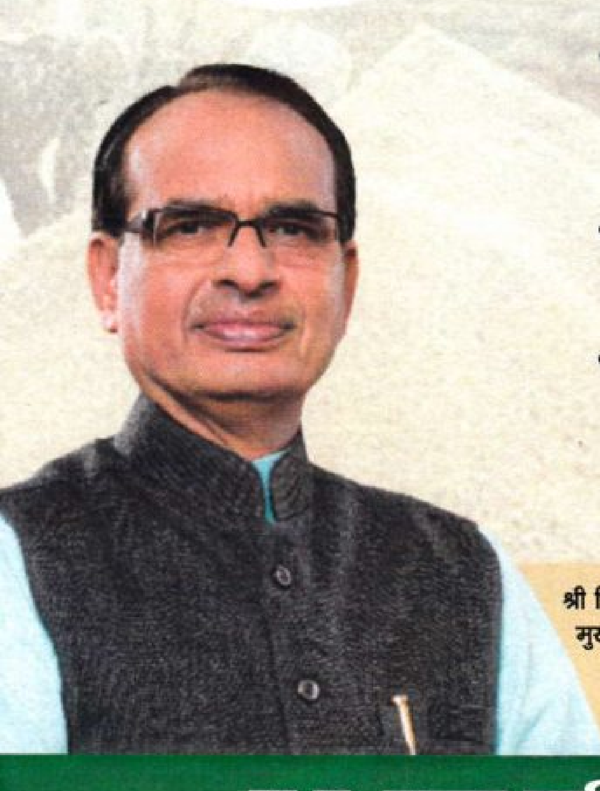

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेहनतकशों के हित में सदा तत्पर
मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना

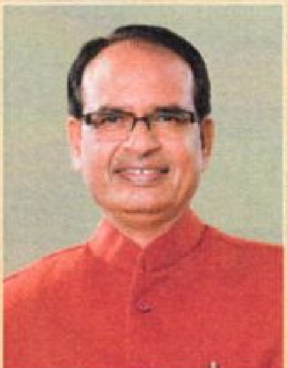

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी में कार्यरत् हम्माल और तुलावटी एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य, प्रसूति सहायता, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा की पहल

- महिला को मातृत्व अवकाश के रूप में कलेक्टर दरों से 45 दिन की प्रचलित मजदूरी के बराबर राशि।
- पुरुष को पितृत्व अवकाश के रूप में कलेक्टर दरों पर 15 दिन की प्रचलित मजदूरी के बराबर राशि।
- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति व्यय सहायता।

चिकित्सा सहायता

- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना में वर्ष में अधिकतम 30 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता।
- मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में सहायता।
- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता।

विवाह सहायता

- मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना के अंतर्गत विवाह सहायता।
- अपना आवेदन कृषि उपज मंडी समिति में दे सकते हैं।

प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता

	छात्र	छात्रा
कक्षा 1 से 5	500 रुपये	800 रुपये
कक्षा 6 से 8	1000 रुपये	1200 रुपये
कक्षा 9 से 12	1200 रुपये	1700 रुपये

कक्षा 9 से 12 तक केवल दो बच्चों को प्रति परिवार प्रतिमाह
शिक्षावृत्ति 100 रुपये

बीमा सहायता

सामान्य मृत्यु	- 30 हजार रुपये
दुर्घटना मृत्यु	- 75 हजार रुपये
दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	- 75 हजार रुपये
दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	- 37,500 रुपये
अंत्येष्टि अनुदान	- 2,000 रुपये

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेहनतकशों के हित में सदा तत्पर मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

कृषकों तथा कृषि आधारित रोज़गार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिये एक अभिनव पहल

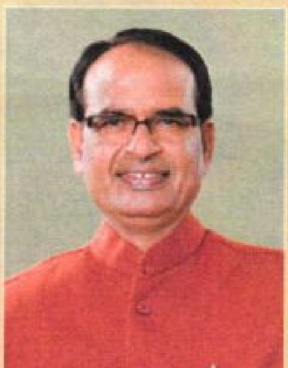

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

ऐसे किसी कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अंगभंग होने पर -

- कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए।
- कुँआ खोदते या ट्यूबवेल स्थापित करते समय।
- ट्यूबवेल संचालन, कृषि कार्य या खेत की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से बिजली का करंट लगने पर।
- खेतों में रासायनिक दवाईयों आदि के छिडकाव में।
- कृषि मण्डी में उपज की बिक्री, कृषि यंत्र उपयोग या बोरी की ढेरी लगाने में।
- ट्रेक्टर-ट्रॉली या बैलगाड़ी के पलटने पर।
- कृषि उपज विक्रय या घर से खेत आते-जाते समय।
- कुट्टी की मशीन या कृषि संयंत्रों से क्रेश मशीन में आने से।
- कृषि सुरक्षा, पशु चराई, पेड़ों की छटाई या कृषि रखवाली पशु को घास खिलाने, दाना खिलाने, पानी पिलाने, छोड़ने एवं बांधने आदि दैनिक कार्य करते समय।

आर्थिक सहायता

मृत्यु होने पर	-	एक लाख रुपये
स्थाई अपंगता	-	25 हजार रुपये
आंशिक अपंगता	-	7 हजार 5 सौ रुपये
अंत्येष्टि अनुदान	-	दो हजार रुपये

- अपना आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में दे सकते हैं।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड